राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

प्रेषिति:-समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

क्रमांक:प.6(35) राज/1/87/21 जयपुर, दिनांक 9.11.87

विषय:-आवंटित कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत।

==xx==

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय कृषि भूमि का भूमिहीन कृषकों में आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये है जिनमें आवंटिती को, आवंटित भूमि के बजाय अन्य भूमि का कब्जा दे दिया जाता है या आवंटिती ने अनजाने में अन्य भूमि पर स्वयं ही कब्जा कर लिया है। फलस्वरूप आवंटिती का अन्य खसरा नम्बरों पर कब्जा काश्त होने और नियमानुसार 10 वर्ष बीत जाने पर खातेदारी अधिकार मिल जाते हैं। ऐसा काश्तकार निरन्तर भू-राजस्व भी जमा करवाता रहता है, मगर सर्वेक्षण व अभिलेख संक्रियाओं के दौरान आवंटिती का आवंटित खसरा नम्बर की भूमि पर कब्जा काश्त न होने कर अन्य भूमि पर कब्जा होने से भू-प्रबंध विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले रेकार्ड में उसका नाम का अंकित नहीं होने ऐसे व्यक्ति को आवंटिती होते हुए भी अतिक्रमी माना जा कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

इस समस्या के निराकरण हेतु निर्देश दिये जाते है कि समय समय पर भूमि के किये गये आवंटन और मौके पर आवंटितियों के वास्तविक कब्जों में अन्तर पाया जाने की दशा में सहायक भू-प्रबंध अधिकारी तथा तहसीलदार सम्मिलित रूप से एक सूची बनाएंगे जिसमें उन आवंटियों के नाम दर्ज किये जावेंगे जिन्हें किसी भी खसरा नंबर में भूमि आवंटित की गई थी और वे आवंटित की गई भूमि की मात्रा तक किसी अन्य खसरा नंबर पर काबिज हैं। इस तरह तैयार की गई सूची संबंधित भू-प्रबंध अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को प्रेषित की जावेगी। जिला कलेक्टर तथा भू-प्रबंध अधिकारी ऐसी सूची पर विचार करने के उपरान्त कब्जे के अनुसार नाम अंकित करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

::2::

R.R.577

::2::

जिसे आवंटित किये गये नम्बर के अलावा अन्य नम्बर पर आवंटिति की बिना किसी गलती के कब्जा होने के कारण उसे किसी गलती प्रकार की परेशानी न हो । यदि किसी आवंटिती के कब्जे में, आवंटन की गई भूमि से अधिक भूमि पायी जावे तो उस अधिक भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जावें । यदि किसी व्यक्ति/आवंटिती का कब्जा चारागाह भूमि पर पाया जावे तो ऐसे मामलों को जिला कलेक्टर राज्य सरकार को आदेशार्थ प्रेषित करेंगे ।

भवदीय,

[signature]

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त ।
2. भू-प्रबंध आयुक्त जयपुर ।
3. उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर ।
4. पंजीयक राजस्व मण्डल अजमेर ।

[signature]

उप शासन सचिव

कटारा/

मूल पत्र पंजी. संयुक्त सचिव द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पत्र हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है

[signature] 11/1/88 S.M. [signature] 11/1/88